न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (सागर केम्प) म.प्र.

रा.पु.क्र. निगरानी 2513-I-15

पेश.ता. 16/07/15

1. इंदरसींग उम्र 56 वर्ष बल्द गुलाबसींग
2. मखनसींग उम्र 60 वर्ष तनय गुलाबसींग
3. प्रकाशसींग उम्र 50 वर्ष तनय गुलावसींग

सभी निवासी पिपरिया चंपत तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

.....पुनरीक्षकर्ता

बनाम

1. दमोदर उम्र 70 वर्ष तनय शिवगुंलाम कुर्मी
2. प्रेमरानी उम्र 72 वर्ष बेबा रामगोपाल कुर्मी

दोनों निवासी ग्राम हरदुवानी तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

.....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता

विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया दमोह के विद्वान पीठासीन अधिकारी श्री एस.एल.सामरथ द्वारा राजस्व अपील क्र.25अ6/वर्ष 13–14 पक्षकार दामोदर तनय शिवगुलाम+1 बनाम इंदरसींग तनय गुलावसींग+2 अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 09/07/15 से दुखी व पीडित होकर पुनरीक्षण याचिका अन्य आधार के अलावा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है–:

1. यहकि अधिनस्थ न्यायालय के विद्वान राजस्व अधिकारी महो कानून एंव प्रक्रिया की गंभीर भूल कर आलोच्य आदेश पारित किया है।
2. यहकि अधिनस्थ न्यायालय के उत्तरवादी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मामले में हिंतबद्ध एंव प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाने का आवेदनपत्र दिनॉक08.06.15 को प्रकरण का अवलोकन किये बिना निरस्त कर प्रक्रिया की गंभीर भूल की गयी है।
3. यहकि अधिनस्थ न्यायालय के अपील प्रकरण में संलग्न विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पथरयिा के रा.प्र.क्र809 वी121 वर्ष 2012–13 में पटवारी के प्रतिवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी को विचार करना था, और वर्तमान ख.नं. 383 के भूमिस्वामी अपील प्रकरण पक्षकार का आदेश पारित करना था, ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है।
4. यहकि उत्तरवादी क्र.1 दामोदर ने विचारण न्यायालय में दिनॉक 07/09/13 को पेश किये आवेदनपत्र में अपनी भूमि का वर्तमान ख.नं0 383 बना स्वयं बतलाया है और वर्तमान में उपरोक्त नम्बर की भूमि के भूमिस्वामी राजस्व रिकार्ड में उत्तरवादी दामोदर और प्रेमरानी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.25.13/I/15 .... जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	इन्दर सिंह कार्यवाही तथा आदेश दमोदा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.15	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रताप दुबे उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में वही तथ्य प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन्हें विचार में लिया जा रहा है। प्रकरण में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 9.7.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतिम तर्क में नियत होने के कारण प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेखीय तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता कि आवेदक प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की पात्रता रखता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आवेदक का हित संनिहित है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त	

[कृ. प. उ.

R. 25/3/1/15 दमोह

स्थान तथा दिनांक	इन्दर सिंह कार्यवाही तथा आदेश दमोह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	
	(sd) 1/12/15 सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.